

आवश्यक सूचनाएँ

1. परीक्षार्थी का नाम, उसके मध्यमा प्रमाण-पत्र में जैसा है, वैसा ही लिखा जाना चाहिए ।
 2. मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सही विवरण स्पष्ट रूप से देना चाहिए । ऐसा न देने पर परीक्षा-फल रोका जाएगा ।
 3. आवेदन-पत्र, नियत शुल्क सहित दि.15.6.2021 तक परीक्षा-विभाग को मिलना चाहिए ।
 4. आवेदन पत्र विलंब शुल्क सहित दि. 25.6.2021 तक परीक्षा विभाग को मिलना चाहिए ।
 5. छूट नियम (मध्यमा से)
 1. एस.एस.एल.सी. या मेट्रिक या एस.एस.सी. परीक्षा में हिन्दी विषय लेकर उपस्थित छात्र;
 2. केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या सी.बी.एस.सी. की आठवीं कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
 3. सातवीं या आठवीं पब्लिक परीक्षा में प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
 4. ऐ.एस.सी. या जूनियर केम्ब्रिज परीक्षाओं में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
 5. किसी भी विश्वविद्यालय के उपाधिधारी, ओरियंटल टाइटिलधारी;
 6. केन्द्र सरकार की प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
 7. केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
 8. हिन्दी माध्यम से चौथी कक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
 9. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
 10. नौवीं कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी विषय लेकर स्कूल में पढ़ रहे छात्र;
- नोट %& Item No. 10 के लिए स्कूल के प्रधान अध्यापक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है कि वह छात्र नौवीं कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में स्कूल में हिन्दी लेकर अध्ययन कर रहा है ।
6. उपरोक्त नियम के अनुसार मध्यमा से छूट पाने लायक आवेदक को आवश्यक प्रमाण-पत्र या अंक सूची की साक्षीकृत (Attested) प्रति इस परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ अवश्य जोड़ना है । छूट शुल्क रु.300/- भी भेजना जरूरी है। जिन आवेदकों को छूट नहीं दी गयी, उनका परीक्षा-फल रोका जाएगा और परीक्षा-फल के प्रकाशन से 45 दिनों के अंदर आवश्यक विवरण देकर परीक्षा-फल न छुड़ाने पर उनकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी ।
 7. परीक्षा-फल www.hindisabhatrichy.com पर प्रकाशित किया जाएगा ।
 8. परीक्षा-फल के विषय में परीक्षा-विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा ।

सचिव